

**DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI
(RTI BRANCH, DTTE)**

(Ph. No.27321024, 27327771, Email:- rtitte.delhi@gov.in)

NO.F.1/2014/appeal no-38/Registrar/BTE/ ||

dated 8/3/19

Name of applicant	Date of application	Reply given by PIO	Date of Appeal	Appeal No.	ID No.
Sh. Amit Pratap Singh	07/12/2018	10/01/2019	21/02/2019	38	4056

DECISION

Appellant, Sh. Amit Pratap Singh, on behalf of Ms Neha, Sh. Sudipta Acharji PIO (BTE) were present for hearing on 21/02/2019.

After perusal of RTI application and reply furnished by the PIO, it is found that PIO has given proper reply and desired information cannot be shared due to secrecy and evaluation of answer sheet related matter. There is no merit in the appeal. Therefore, the appeal is dismissed.

Case disposed off. If applicant is not satisfied with this direction, he may file second appeal before Hon'ble CIC, CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg Munirka, New Delhi - 110067 within the stipulated time.


21/2/19

(RAJANISH SINGH)
JOINT DIRECTOR/ F.A.A., DTTE (HQ)

Ms Neha D/o Late Sh. Balram
R/o H.NO-E-457, Shakurpur, Delhi-34
NO.F.1/2014/appeal no-38/Registrar/BTE/ ||

dated 8/3/19

Copy to:- DTTE

1. PIO, ~~BTE~~ (HQ)

✓ 2. The Assistant Programmer, DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of application filed by the appellant to the F.A.A. DTTE as first appeal is also enclosed.)

नेहा पुत्री स्व. बलराम
E-457, शकूरपुर
नई दिल्ली - 110034
दिनांक : जनवरी, 2019

सेवा में ,

श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी (संयुक्त निर्देशक)
कार्यालय दिल्ली तकनीकी शिक्षा परिषद
कमरा संख्या 103,
मुनि मायाराम मार्ग, पीतमपुरा
नई दिल्ली - 110088

Mrs Jagjit

Sudip In Acharjee
01/02/2019

सूचना अधिकार अधिनियम-2005, धारा 19(1)

आदरणीय श्रीमान जी,

दिनांक 12.12.2018 को मैंने RTI आवेदन, जन सूचना अधिकारी, भेजा था जि जिसका जवाब 16.01.2019 मिला जो पूरी तरह भ्रमित करने वाला व असंतोषजनक जवाब है। आपको यह भी सूचित करना है कि आवेदन पत्र 31/10/2018 को परीक्षा नियंत्रक भंडारकर महोदय ने जमीन पर फेंक दिया था

जन सूचना अधिकारी द्वारा क्रमानुसार 1 से 10 तक दी गयी जानकारी अपूर्ण एवं असत्य है क्योंकि

- 1 हमने परीक्षक का पता / सम्पर्क सूत्र नहीं माँगा है अतः माँगी गई सूचना प्रदान कराने का कष्ट करें।
 - 2 दी गई सूचना अधूरी है कृपया पूरी सूचना प्रदान कराने का कष्ट करें एवं आपत्ति व्यक्त करना है माँगी गई जानकारी को ज सू अ के लिए लुच्छ शब्द से संबोधित लिया है।
 - 3 Section 8(i) g का दुरुपयोग न किया जाए कृपया माँगी गई सूचना दिलाने का कष्ट करें।
 - 4 काल्पनिक सूचना नहीं माँगी गई है कृपया माँगी गई सूचना दिलाने का कष्ट करें।
- जन सूचना अधिकारी के अनुसार उ. पु. का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता, आपको बताना है कि सही उत्तर पर शून्य अंक भी नहीं दिया जा सकता (संकेत : Subject - S.O.M., New India Publication, Writer- Abhijit Chatarjee से मेरे उत्तर सं 1(XIV), 2(1), 2(3), 2(4), 3(a), 4(b), 5 etc. का मिलान करके देखें) अतः माँगी गई सूचना दिलाने का कष्ट करें।

38/Appeal/BTE
01/02/19

403/RTI/BTE
04/02/19

Boke
01/02/19

reka

Contd.....2

99/RTI/DTTE
30/1/19

Registron
PIB-BTE

naag
01/02/2019
PIB-BTE

- 6 दी गई सूचना अधूरी है, कृपया पूरी सूचना (परीक्षक को कब बुलाया गया बुलाने के लिए भेजे गए डाक पत्र का पंजी. सं., परीक्षक को किए गए भुगतान इत्यादि) दी जाए और यह भी बताया जाये कि BTE के rechecking से जुड़े नियम मुझे कब दिये गए हैं (rules दस्तावेजों में दबाकर रखने के लिए नहीं होते, कम से कम उत्तर पुस्तिका के साथ दो देना ही था, किन्तु उस समय भी नहीं दिया गया)
- 7 मुझे जितना अंक मिलना चाहिए उससे कम मिले हैं जिसके लिए मैंने बी टी ई एवं अन्य कई जगहों के चक्कर लगाने पड़े हैं और तो और मुझे परीक्षा नियंत्रक ने भी अपमानित किए हैं, अतः माँगी गई सूचना दिलाने का कष्ट करें।
- 8 काल्पनिक सूचना नहीं माँगी गई है कृपया माँगी गई सूचना दिलाने का कष्ट करें।
- 9 प्रत्येक प्रश्न पत्र का हल (solution) भी परीक्षा लेने वाले विभाग के पास होता है, प्रश्न पत्र का हल न होना लापरवाही / सूचना छुपाना दर्शाता है, जो भी सूचना माँगी गई है नियमतः पहले से ही होनी चाहिए, अतः माँगी गई सूचना दिलाने का कष्ट करें।
- 10 कोई भी परीक्षक, उत्तर पुस्तिका का परीक्षण करता है तो पहले वह उसका हल (solution) तैयार करता है, मेरी कापी का परीक्षण करने वाले परीक्षक ने हल (solution) हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में तैयार करना चाहिए था अगर नहीं किया है तो बी. टी. ई. / परीक्षक की गलती है, जबकि मुझे हल (solution) हिन्दी भाषा चाहिए, अतः परीक्षक के हाथों का हल (solution) दिलाने का कष्ट करें। (आपको यह भी अवगत कराना है कि उत्तर पुस्तिका बिना कोडिंग के परीक्षण कराई गई है जिसमें परीक्षा नियंत्रक की लापरवाही सीधे तौर पर दिख रही है)

धन्यवाद।


(नेहा)

संलग्नक :-

- 1- RTI आवेदन पत्र
- 2- RTI आवेदन पत्र का जवाब